सम्माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप उज्जैन

निगरानी- 0681/2019/देवास/भू०रा०

राजस्व निगरानी क.   /2019

रामहेत पिता लख्खा उर्फ लक्ष्मीनारायण देसवाली
उम्र 63 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम बावडीखेडा
तेहसील कन्नौद जिला देवास म.प्र.

——— प्रार्थी

विरुद्ध

सीताराम पिता गोवर्धन देसवाली उम्र 38 वर्ष
धंधा खेती निवासी ग्राम बावडीखेडा तेहसील कन्नौद
जिला देवास म.प्र.

——— विपक्षी

599
27/5/19

राजस्व पुनरिक्षण धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 के अन्तर्गत

प्रार्थी अभिभाषक श्री ...
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 27.5.2019
अधीक्षक 27.5.19
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

सम्माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के अपील प्रकरण क. 705/अपील/2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 15/01/2019 से असन्तुष्टी पर ।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से विपक्षी के विरुद्ध यह पुनरिक्षण श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है कि :-

प्रकरण सुनवाई हेतु 25.6.19 उज्जैन कैम्प नियत।

त थ य

यह कि विपक्षी ने उसकी दादी श्रीमती धापूबाई बेबा लख्खा उर्फ लक्ष्मीनारायण के नाम की भूमि ग्राम बावडीखेडा प.ह.नं. 3 तेहसील कन्नौद जिला देवास स्थित सर्वे क. 410 रकबा 0.41 हे. व सर्वे क. 485 रकबा 0.18 हे. पर वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण किये जाने वावद आवेदनपत्र अधिनस्त तेहसीलदार महोदय कन्नौद के समक्ष धारा 109, 110 म.प्र.भू.रा.संहिता के अन्तर्गत तेहसील प्रकरण क. 1-अ-6/2013-14 का प्रस्तुत किया जिसकी प्रार्थी को माहिती के बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अवैध व

(134)

(192)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-0681/2019/देवास/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से श्री बी.एल. मावर उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/01/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अत: यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	